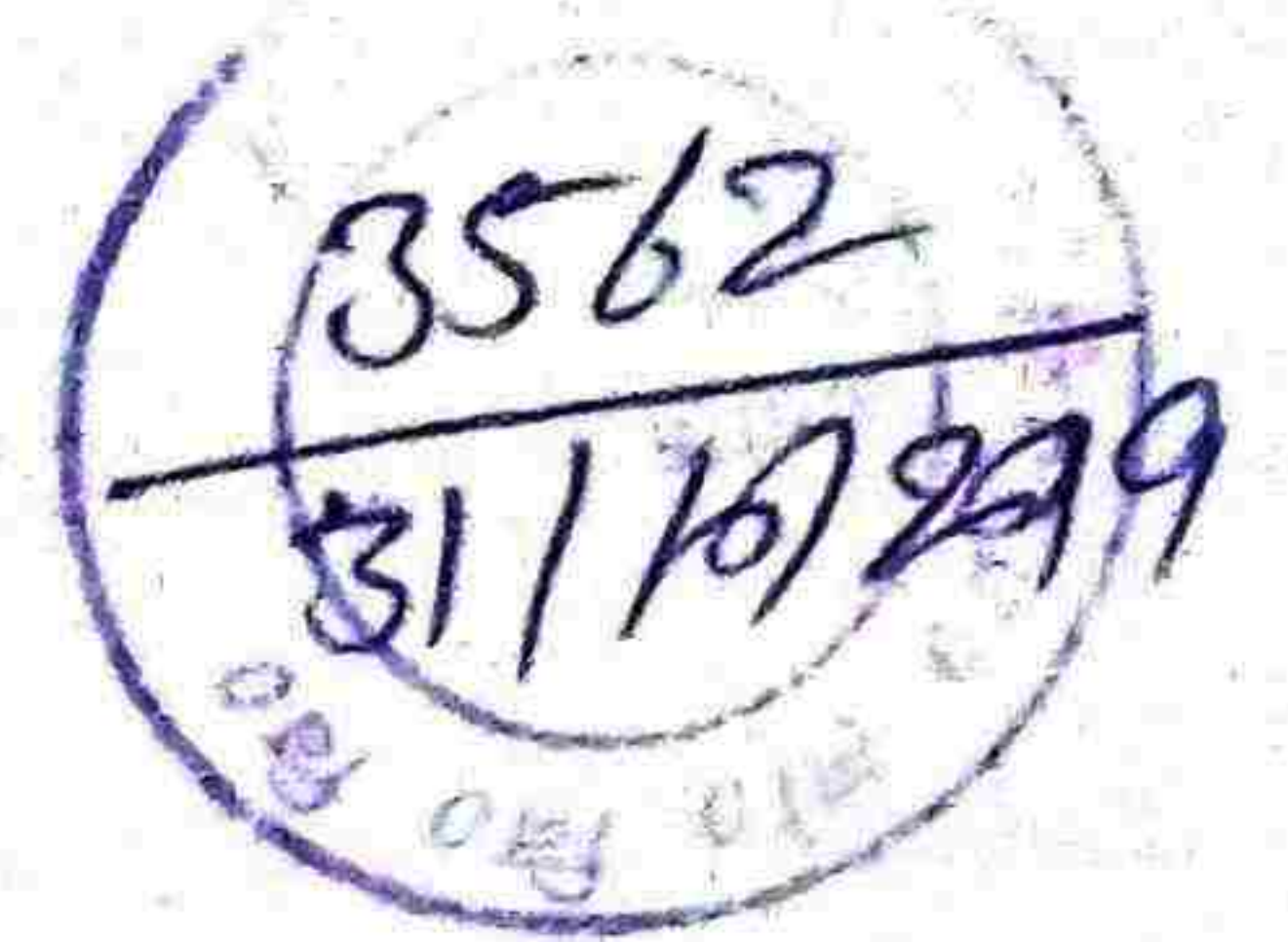


FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated

2019



TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05th February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.26.36 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **H.P.P.W.D. for the construction of Dhani to Kharli road** which falls in jurisdiction of Village Malhot, Kakrahd, Jangle Behal, Behal, Kharli, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur. H.P.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.26.36 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

Rajeshwar Goel (I.A.S.)

Dputy Commissioner,

Distt. Bilaspur, H.P.

dated 29-10-2019

Endst No- as above-

Copy to the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Ghumarwin, Distt. Bilspur, H.P. for further necessary action.

Dputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

Office of the Deputy Commissioner
District Bilaspur (Himachal Pradesh)

FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Rajeshwar Goel (I.A.S.), Deputy Commissioner, Bilaspur on 19-10-2019 at 4-30 P.M. at Bilaspur in which the following applications were discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sub Division Jhandutta, District Bilaspur, H.P.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	2.87.36 hectares	Diversion of land Mini Secretariat at Jhandutta.
2.	0.60.58 hect.	Diversion of land Kaller to Kaller village road, Tehsil Jhandutta.
3.	3.26.36 hect.	Diversion of land Dhani to Kharli road at Sub Tehsil Kalol.

1. Amarjeet Singh Bangga,
Zila Parishad. (Member)

2. Parshotam Kumar Sharma,
Zila Parishad. (Member)

3. Kamla Devi,
Zila Parishad. (Member)

4. Saroj Bhai Patel, D.F.O.,
Distt. Bilaspur (H.P.)
(Member)

5. Vinay Dhiman,
Additional District Magistrate,
Bilaspur, H.P. (Member Secretary)

6. Rajeshwar Goel (I.A.S.)
Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.
(Chairman)

(2)

राजस्व गाव का नाम :- मल्हार

राजस्व गाव का नाम	प्रथम मुहाल सभा जिसमें वन अधिकार समिति का गठन किया गया		90 दिनों या जो भी लागू हो, के बाद समिति की बैठक की तिथि	दूसरी मुहाल सभा की तिथि	
	बैठक की तिथि	उपस्थिति		बैठक की तिथि	उपस्थिति
मल्हार	10-07-2018	172/321	26-10-18	9-11-2018	179/321
पुष्कणित किया जाता है कि इस मुहाल सभा में उपस्थिति 172/321 है जो कि 50% से अधिक है					

सचिव

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाइ
विकारा खण्ड झण्डूता
उप तहसील बिलोलापुर (हि० प्र०)

जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

(3)

क्रमांक: ग्राम पंचायत / ~~सलवाड़~~ / 2019/
ग्राम पंचायत ~~सलवाड़~~ उप तहसील कलोल
जिला बिलासपुर (हि०. प्र०)
दिनांक:

सूचना

सर्व साधारण राजस्व गाव ~~मलहौर~~ मोजा ~~मलहौर~~ परगना वसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि०.प्र०. के व्यस्क सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकार समिति के गठन हेतु उपरोक्त वार्ड की मुहाल सभा का आयोजन दिनांक को किया जाना है अतः उपरोक्त वार्ड के राजस्व गाव के व्यस्क सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक ~~10/11/18~~ को होने वाली मुहाल सभा / वार्ड सभा में भाग लेने की किरपा करें।

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत ~~सलवाड़~~ सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड़
विकास खण्ड झण्डूता
उप तहसील कलोल
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

जिला बिलासपुर हि०.प्र०.

दिनांक: ~~05/11/18~~.

प्र०स० - उपरोक्त -

प्रतिलिपि :-

1. ग्राम पंचायत ~~सलवाड़~~ सूचना पट्ट ।
2. उपरोक्त वार्ड मुहाल के मुख्य स्थानों के चस्पान हेतु ।

वन अधिकार से जुड़े दावों / आक्षेपों के लिए नोटिस

राजस्व गाव ~~ककरैहड~~ ^{मल्होट} मोजा ~~ककरैहड~~ ^{मल्होट} परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० वन अधिकारों सम्बन्धित दावे प्रस्तुत करने हेतु नोटिस -

राजस्व गाव मल्होट मोजा मल्होट परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० वन अधिकार समिति दिनांक . 10/07/2018. को गठित की गई है। अब वन अधिकार समिति बाबत राजस्व गाव खरली मे रहने वाले सभी मुहाल सभा सदस्यों को नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मोजा ककरैहड परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० में खसरा न०. 226/1,424/217/1,434/217/2,437/217/1 खाता खतोनी न०. में 0-7 बीघा (0-3-1-11,0-14,1-13 हेक्टेयर) भूमि में सडक निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है की वन भूमि के सम्बन्ध में सर्व साधारण से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावे एवं आक्षेप मांगे जाते है यह दावे आज दिनांक 16/7/2018 से 90 दिनों या जो भी लागु होगा के भीतर वन अधिकार समिति मोजा खरली के पास प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

1. दावे व्यक्तिगत या समूह / सामुदायिक तोर पर दिये जा सकते हैं
2. दावे उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत (क) से (ड) तक दी गई श्रेणियों के लिए दिये जा सकते हैं। (इन धारायों का अवलोकन वन अधिकार समिति के पास कर सकता हैं।
3. वन भूमि के व्यक्तिगत अधिकार के दावे नियमों में दिये गये प्रारूप (क) को भर कर दिये जाने हैं।
4. वन भूमि के सामुदायिक अधिकार के दावे नियमों के प्रारूप (ख) को भरकर दिये जाने है।
5. प्रारूप क व् ख की प्रति आवेदकों को वन अधिकार समिति द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. प्रारूप क व् ख में उपरोक्त अधिनियम / नियम की एक प्रति वन अधिकार समिति के सचिव के पास उपलब्ध हैं जिसका अवलोकन आवेदक किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 11:00 से सायः 3:00 वजे तक कर सकते हैं।

दिनांक:- 16/7/18.

दिल्ल सिंह

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव

ग्राम पंचायत सलवाड, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

प्रतिलिपि :-

1. ग्राम पंचायत सलवाड सूचना पट्ट।
2. उपरोक्त वार्ड मुहाल के मुख्य स्थानों के चस्पान हेतु।

सचिव पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड
उप तहसील कलोल विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०) (हि० प्र०)

सचिव पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड
उप तहसील कलोल विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०) (हि० प्र०)

वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत सलवाड उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि०.प्र०.

आज दिनांक 26.10.2018 : को वन अधिकार समिति ग्राम ककरैहड की बैठक अध्यक्ष श्री आशा राम... की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व-सहमती से निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रस्ताव संख्या :-

विषय :- निर्माण सडक-~~की~~ हेतु मोजा ~~खरली~~ उप तहसील कलोल के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र।

बैठक में सभी उपस्थित ग्राम वासियों ने सम्बिन्दत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उदेश्यों को पूरी तरह समझने उपरांत सर्व-सहमती से यह निर्णय लिया की ग्राम खरली के अन्तरगत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

क्र.स.	नाम व पिता /पति का नाम	पदनाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1	रणजीत सिंह/प्रभु राम	अध्यक्ष	मलहौर	अध्व	रणजीत सिंह
2	दलैल सिंह/बं दुखाराम	सचिव	मलहौर	अध्व	दलैल सिंह
3	प्रेम सिंह/दीनराम	सदस्य	मलहौर	अध्व	प्रेम सिंह
4	सुभाष चन्द/बालकृष्ण	,,	मलहौर	अध्व	सुभाष चन्द
5	रीना कुमारी/सुरेश कुमार	,,	मलहौर	अध्व	रीना कुमारी
6	जयवन्ती/काशी दाम	,,	मलहौर	अध्व	जयवन्ती
7	शैर सिंह/गंगा राम	,,	मलहौर	अध्व	शैर सिंह

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड
विकास खण्ड अण्डला
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

P.T.O.

8	श्रीमती अमरी जामुनलाल सदस्य	मलहौर		
9	प्रेमचन्द जामुनलाल	मलहौर	SC	Reem Kumari
10	श्रीमती जामुनलाल	मलहौर		प्रेमचन्द
11	श्रीमती देवी जामुनलाल सिंह	मलहौर	Other	सोमदेवी
12	साहवा देवी जामुनलाल	मलहौर	Other	सुनीक्षी
13	जमदेई जामुनलाल	मलहौर	Gen.	जमदेई
14	मीना देवी जामुनलाल सिंह	मलहौर	Gen.	मीना देवी
15	कौशल्या देवी जामुनलाल	मलहौर	SC	कौशल्या देवी

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु मोजा उप तहसील कलोल के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की हैं। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैं। प्रस्ताव सर्व-सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप हैं।

प्रधान **रुण्जीत सिंह**
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकार समिति, राजख गांव
ग्राम पंचायत सलवाड, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

सचिव **दलेल सिंह**
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजख गांव
ग्राम पंचायत सलवाड, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)


पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

18

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ANNEXURE - I

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव सं० 11

दिनांक

वन अधिकार समिति ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक 26-10-2018 को 11:00 AM बजे म्यान में श्री/श्रीमती की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मोजा खरली उप तहसील कलोल जंगल / वन क्षेत्र में हि० प्र० लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता विभाग प्राप्त धरनी से खरली तक प्रस्तावित सड़क के लिए खसरा न०. 32/1 रकबा तादादी 0-7 बीघा (0-02-66 हेक्टेयर) भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित हैं। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०.सं०. पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्योरा

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा में इसकी सिफारिस करती हैं।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०.सं०. पात्र गांव वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिस करती हैं।

या

..... जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव

ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

ग्रामवासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया हैं।

"प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती हैं।

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव

ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव

ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत

(19)

Date - 5-11-2018.

वन अधिकार समिति मोजा ... म.ल.ह.र. ... उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण निवासी मोजा ... म.ल.ह.र. ... परगना ... कसेह ... उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.) के व्यस्क सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मुहाल सभा की बैठक का आयोजन दिनांक ... 9-11-2018 ... को किया जा रहा है। अतः उपरोक्त वार्ड के सभी वयस्क सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक ... 9-11-2018 ... को होने वाली मुहाल सभा / वार्ड सभा में भाग लेने की कृपा करें जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण ... चौकी से खरल ... के लिए भूमि बारे चर्चा की जाएगी।

सचिव

दलीप सिंह

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकार

वन अधिकारी समिति, राजख गांव

ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

मोजा ...

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

म.ल.ह.र. ... परगना ... कसेह ...

उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोजा ... मलहारा ... परगना ... बसेह ... तह झंडूता जिला
बिलासपुर हि प्र में खसरा न 241/1, 433/2, 434/2 खाता खातोंनी न 0-3, 1-1, 5-1 में बीघा (हेक्टेयर) में
वन अधिकार समिति के गठन हेतु मुहाल सभा की गई जिसमें मुहाल के ^{15/3} कुल मतदाताओं का 1/2
भाग से अधिक मतदाता उपस्थित हुए। उपस्थित मतदाताओं/ लोगों नापने में से वन अधिकार
समिति का गठन मुताबिक मार्ग दर्शिका 1/3 अनुसूचित जनजाति सदस्य और 1/3 महिला
सदस्य जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वंहा इसके बदले 1/3 महिला सदस्य होंगी के अनुसार
होगी।

वन अधिकार समिति के गठन के उपरान्त सूचना जगह-जगह मुहाल  स्थानों पर चस्पान कर दी गई थी। 90 दिनों या जो भी लागु हो के भीतर किसी भी प्रकार का आक्षेप/आपत्ति नहीं हुई।

वन अधिकारसमिति के गठन के 90 दिनों या जो भी लागू हो के उपरान्त समिति की बैठक कि गई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मोजा.....भल्लोह..... परगना कसह..... तह झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र में किसी का भी वन अधिकार का दावा /आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। समिति द्वारा प्रस्ताव प्रतिलिपि ग्राम पंचायत ...सलवाड..... हेतु प्रेषित क्र दी गई।

✓ दलैल सिंह
सचिव सचिव अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजख गांव
वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत सलवाड, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
ग्राम उप. तह

जिला बिलासपुर हि

प्रधान रूपजीत सिंह
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
ग्राम म.र.ह.त......उप. तह

जिला बिलासपुर हि प्र

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाइ
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (दि० प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ANNEXURE-II

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या --/14

दिनांक 23-1-19

ग्राम सभा सलवाड़ की बैठक आज दिनांक को 23-1-19 बजे स्थान में श्री/श्रीमती रामलाल खन्ना की अध्यक्षता में की गई जिसमें गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मोजा तह झण्डूता जंगल / वन क्षेत्र में उत्प्रेषण विभाग हिमाचल प्रदेश, महा प्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र, बिलासपुर द्वारा आधोगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए खसरा न 226/1, 424/2, 434/2, 437/2, 437/2, 437/2 रकबा तादादी 6.31-11 बीघा (हेक्टेयर) भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकारी समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाँववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	—	<u>मल्लिक</u>	—

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम
—	—

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या वन अधिकारी समिति सलवाड़
ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति जिला बिलासपुर (हि० प्र०) अनुसार उपरोक्त जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान सलवाड़

दिनांक 23/1/19

पंचायत सलवाड़ सिंह
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, सलवाड़

ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

अधिकृत प्रस्तावकर्ता
ग्राम पंचायत सलवाड़
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

ग्राम वासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/ कार्य का समय जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



हस्ताक्षर [Signature]
दिनांक 23/1/19

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड़
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ANNEXURE- V

ग्राम सभा

विकाश खण्ड झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र

प्रतिलिपि प्रस्ताव ----

गणपूर्ति 161/600

दिनांक

प्रस्ताव संख्या ---- 14

विषय : लोहनिमाण विभाग (हि 08) के अधीन चली खेखली सड़क के निर्माण हेतु

हेतु मोजा अल्हो तह झंडूता में जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा न 226/1, 434/217/1, 434/217/2 रकवा तादादी वीघा 0-3, 1-1
(..... हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु 434/217/2

ग्राम सभा 24/1/15 की बैठक आज दिनांक 23-01-2019 को 2 बजे स्थान सलवाड़

में की गई जिसमें लोहनिमाण विभाग हिमाचल प्रदेश / संस्था को आधोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु अल्हो

जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा न 226/1, 434/217/1, 434/217/2 रकवा तादादी 0-3, 1-11, 0-14, 1-13
हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियो ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व-सम्मति से यह पारित किया गया की उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / क्र ली गई है तथा प्रस्तावित खसरा न रकवा तादादी वीघा (..... हेक्टेयर) वन भूमि को अधोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सलवाड़ की सहमति दी जाती है।

स्थान सलवाड़

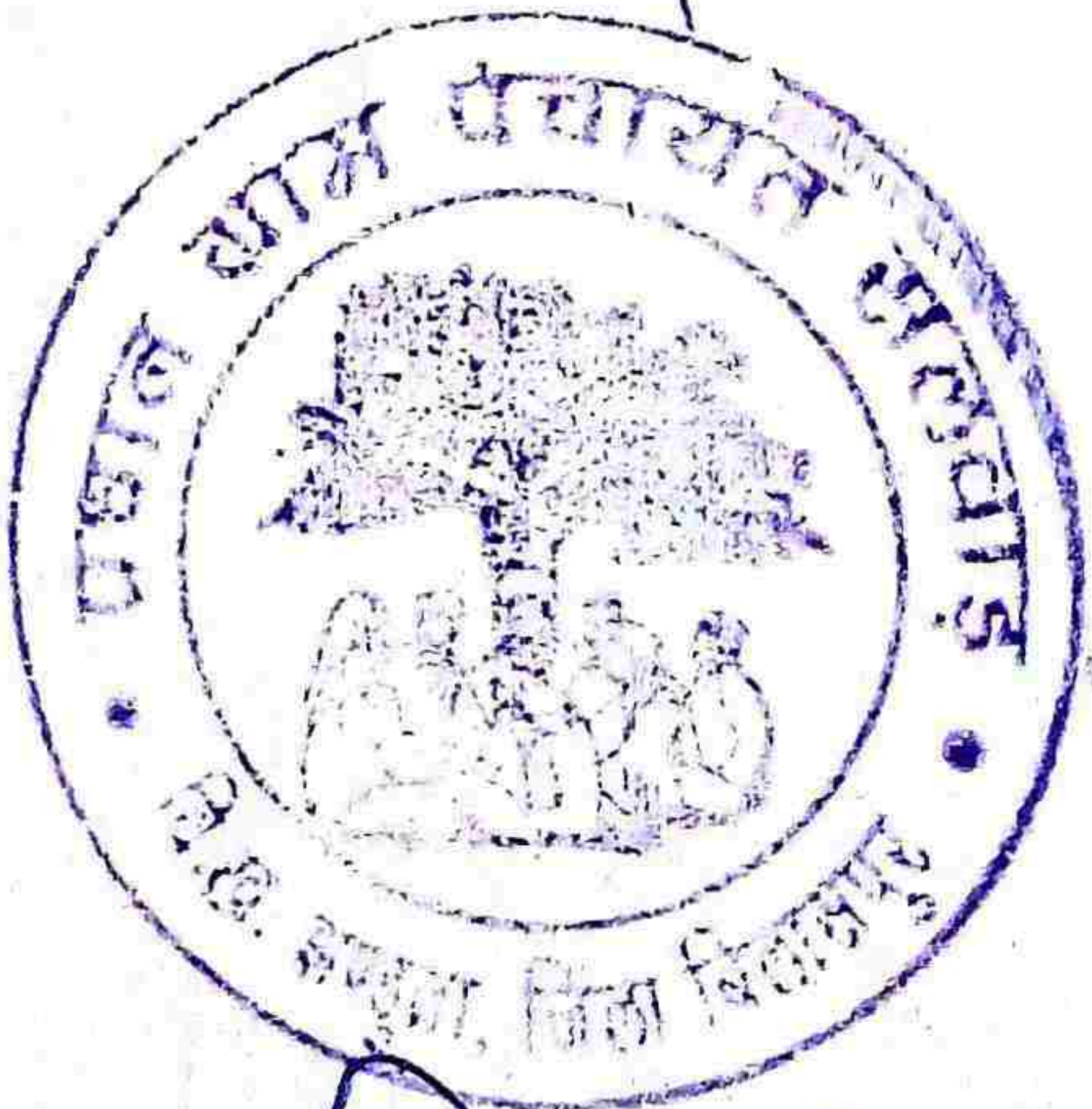
दिनांक 23/01/19

अध्यक्ष/सचिव दिलेल सिंह
वन अधिकारी समिति, राजसूत गुंव
ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हि 080)

रंजीत सिंह

अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजसूत गुंव
ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हि 080)

अधिकृत हस्ताक्षर
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड़
विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हि 080)



हस्ताक्षर
दिनांक 24/01/19

अधिकृत हस्ताक्षर
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड़
विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हि 080)

ज्याणित किया जाता है कि राजस्व मुहाल सभा मल्लोह में वन अधिकार समिति के गठन हेतु मुहाल सभा की गई जिसमें मुहाल के कुल मतदाताओं का 1/2 भाग से अधिक मतदाता उपस्थित हूँ। उपस्थित मतदाताओं / लोगों ने अपने में से वन अधिकार समिति का गठन सुताविक मार्गदर्शिका (113) अनुसूचित जनजाति सदस्य और 1/3 महिला सदस्य (जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है वहाँ 1/3 इसके बदले महिला सदस्य होगी) के अनुसार किया।

वन अधिकार समिति के गठन के उपरान्त सूचना जगह-2 मुहाल मल्लोह में प्रसारित कर दी थी। 90 दिनों तक किसी भी प्रकार का आक्षेप / आपत्ति दर्ज नहीं हुई।

वन अधिकार समिति के गठन के 90 दिनों के उपरान्त समिति की बैठक की गई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मुहाल मल्लोह में किसी का भी वन अधिकार का दावा पारित नहीं हुआ है। समिति द्वारा पारित प्रस्ताव प्रतिलिपि ग्राम सभा हेतु प्रेषित कर दी गई।

सचिव रुनील सिंह
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत सलवाड़
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर

(हिरण्य)


पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड़
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

अध्यक्ष रुनील सिंह
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत सलवाड़
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर

(हिरण्य)

चेक लिस्ट

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
१	मुहाल सभा की बैठक	कुल व्यस्क सदस्यों की १/२ कोरम हाँ
२	एफ.आर.सी.	१० से १५ सदस्य (१/३ अनुसूचित जनजाति सदस्य और १/३ महिला सदस्य जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वहाँ १/३ इसके बदले महिला सदस्य होगी) हाँ
३	९० दिनों की घोषणा (जहाँ लागु हो)	हाँ
४	९० दिनों के बाद एफ.आर.सी. की बैठक	हाँ
५	मुहाल सभा की बैठक	हाँ
६	मुहाल सभा दावेदारों के दावों को दस्तावेजों के साथ एस.डी.एल.सी. को अग्रेषित करेगी	१. एफ.आर.सी. का प्रस्ताव (अनुलग्नक सलंगन) हाँ २. मुहाल सभा का प्रस्ताव (सलंगन) हाँ ३. दोनों मुहाल सभाओं की कार्यवाही उपस्थिति सहित (सलंगन) हाँ
७	एस.डी.एल.सी. द्वारा ६० दिनों की समाप्ति पर दावों पर विचारविमर्श करने के उपरांत दावों/आक्षेपों पर की गई कार्यवाही डी.एल.सी. को भेजी .	

१ से ६ रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाणित ।

हस्ताक्षर/मोहर
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड
सचिव/ सहायक ग्राम पंचायत सलवाड
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

१ से ६ सचिव /सहायक ग्राम पंचायत सलवाड की रिपोर्ट अनुसार प्रमाणित ।

हस्ताक्षर / मोहर

खंड विकास अधिकारी झंडुता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)
Development Block Jhandutta
Distt. Bilaspur (M.P.)

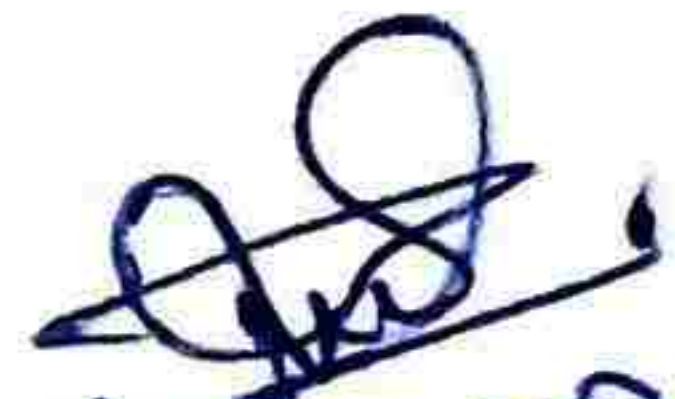
७ रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाणित ।

उप-मंडल अधिकारी (ना.)

Sub Divisional Officer (C),
Jhandutta, Distt. Bilaspur (M.P.)

राजस्व गाव का नाम :- ^{२१}ककरेड

राजस्व गाव का नाम	प्रथम मुहाल सभा जिसमे वन अधिकार समिति का गठन किया गया		90 दिनों या जो भी लागु हो, के बाद समिति की बैठक की तिथि	दूसरी मुहाल सभा की तिथि	
	बैठक की तिथि	उपस्थिति		बैठक की तिथि	उपस्थिति
^{२१} ककरेड	10-07-2018	141/211	26-10-2018	9-11-2018	141/211
उद्घाटित किया जाता है कि इस मुहाल सभा में उपस्थिति 141/211 है जो कि 50% से अधिक है					


 पंचायत सचिव
 सचिव ग्राम पंचायत सलवाड़
 विकास अण्ड झण्डूता
 ग्राम पंचायत बिलासपुर (हि० प्र०)
 उप तहसील कलोल
 जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

क्रमांक: ग्राम पंचायत / सलवाड / 2019/
ग्राम पंचायत सलवाड उप तहसील कलोल
जिला बिलासपुर (हि०. प्र०)
दिनांक:

सूचना

सर्व साधारण राजस्व गाव ककरैहड मोजा ककरैहड परगना वसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि०.प्र०. के व्यस्क सदस्यों को सूचित किया जाता हैं कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकार समिति के गठन हेतु उपरोक्त वार्ड की मुहाल सभा का आयोजन दिनांक 10/07/2018 को किया जाना है अतः; उपरोक्त वार्ड के राजस्व गाव के व्यस्क सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक 10/07/2018 को होने वाली मुहाल सभा / वार्ड सभा में भाग लेने की कृपा करें।

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत सलवाड
ग्राम पंचायत सलवाड
विकास खण्ड झण्डूता
उप तहसील कलोल
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

जिला बिलासपुर हि०. प्र०.

दिनांक:

प्र०स० - उपरोक्त -

प्रतिलिपि :-

1. ग्राम पंचायत सलवाड सूचना पट्ट।
2. उपरोक्त वार्ड मुहाल के मुख्य स्थानों के चस्पान हेतु।

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत सलवाड
ग्राम पंचायत सलवाड
विकास खण्ड झण्डूता
उप तहसील कलोल
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

जिला बिलासपुर हि०. प्र०.

दिनांक:

9

Ltg. Asstt
5/11/19

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NO:-PW/GHD/CB/WA/FOREST CASE/2018
To

19212-18

DATED... 2-1-2019

The Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, Distt. Bilaspur H.P.

Subject:-

Regarding diversion of 3.26 hect. of forest land for the
construction of Dhani to Kharli road (issue of NOC under
Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers
Act.2006.)

Reference:-

Your office letter No. JHD/FRA/1(1)/2018-4095 dated 11-12-
2018.

Please refer to your office letter under reference address to
worthy Deputy Commissioner Bilaspur and copy endorsed to this office vide which three No.
cases for issue of N.O.C. under Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act.
2006 were submitted to Worthy Deputy Commissioner Bilaspur. In addition to three No. cases,
case of issue of N.O.C. under ST&OTFD Act. 2006 in respect of Dhani to Kharli road is also
required to be submitted to Deputy Commissioner Bilaspur for consideration in Distt. Level
Forest Right Committee.

It is, therefore, requested that the case for issue of N.O.C.
Under ST&OTFD may please be forwarded to the Deputy Commissioner Bilaspur for issue of
N.O.C. as the road is proposed to be constructed under P.M.G.S.Y. as the entire formalities for
the diversion of forest land except has been completed.

This is for your information please.

Executive Engineer,
Ghumarwin Division,
H.P.P.W.D. Ghumarwin.

Copy is forwarded to the Assistant Engineer H.P.P.W.D. Sub-
Division Kalol for information and necessary action. He is requested to attend office of S.D.M.
Jhandutta for early submission of case for issue of N.O.C. under ST&OTFD.

Executive Engineer,
Ghumarwin Division,
H.P.P.W.D. Ghumarwin.

वन अधिकार से जुड़े दावों / आक्षेपों के लिए नोटिस

राजस्व गाव ककरैहड मोजा ककरैहड परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० वन अधिकारों सम्बन्धित दावे प्रस्तुत करने हेतु नोटिस -

राजस्व गाव ककरैहड मोजा ककरैहड परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० वन अधिकार समिति दिनांक..10/07/2018. को गठित की गई है। अब वन अधिकार समिति बाबत राजस्व गाव खरली मे रहने वाले सभी मुहाल सभा सदस्यों को नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मोजा ककरैहड परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० में खसरा न०. 32/1 खाता खतोनी न०. में 0-7 बीघा (0-02-66 हेक्टेयर) भूमि में सडक निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है की वन भूमि के सम्बन्ध में सर्व साधारण से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावे एवं आक्षेप मांगे जाते है यह दावे आज दिनांक 10/7/18 से 90 दिनों या जो भी लागु होगा के भीतर वन अधिकार समिति मोजा खरली के पास प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

1. दावे व्यक्तिगत या समूह / सामुदायिक तोर पर दिये जा सकते हैं
2. दावे उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत (क) से (ड) तक दी गई श्रेणियों के लिए दिये जा सकते हैं। (इन धारायों का अवलोकन वन अधिकार समिति के पास कर सकता हैं।
3. वन भूमि के व्यक्तिगत अधिकार के दावे नियमों में दिये गये प्रारूप (क) को भर कर दिये जाने हैं।
4. वन भूमि के सामुदायिक अधिकार के दावे नियमों के प्रारूप (ख) को भरकर दिये जाने है।
5. प्रारूप क व ख की प्रति आवेदकों को वन अधिकार समिति द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. प्रारूप क व ख में उपरोक्त अधिनियम / नियम की एक प्रति वन अधिकार समिति के सचिव के पास उपलब्ध हैं जिसका अवलोकन आवेदक किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 11:00 से सायः 3:00 बजे तक कर सकते हैं।

दिनांक:-

प्रतिलिपि :-

1. ग्राम पंचायत सलवाड सूचना पट्ट।
2. उपरोक्त वार्ड मुहाल के मुख्य स्थानों के चस्पान हेतु।

सचिव पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड पंचायत सलवाड
उप तहसील कलोल खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

सचिव पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड पंचायत सलवाड
उप तहसील कलोल खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०.)

उप तहसील कलोल

जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत सलवाड उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि०.प्र०.

आज दिनांक . 26-10-2018 को वन अधिकार समिति ग्राम ककरैहड की बैठक अध्यक्ष श्री आशा राम...की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व -सहमती से निम्नलिखित कार्यवाही अम्ल में लायी गयी ।

प्रस्ताव संख्या :-

विषय :- निर्माण सड़क हेतु मोजा खरली उप तहसील कलोल के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र ।

बैठक में सभी उपस्थित ग्राम वासियों ने सम्बिन्दत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उदेश्यों को पूरी तरह समझने उपरांत सर्व -सहमती से यह निर्णय लिया की ग्राम खरली के अन्तरगत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपति नहीं है इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

क्र.स.	नाम व पिता /पति का नाम	पदनाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1	आशा राम/तुलसीराम	अध्यक्ष	ककरैहड	Chen	Asha Ram
2	जयसिंह/नैण सिंह	सचिव	"	Chen	Jai Singh
3	सोमा देवी/कुलदीप	सदस्य	"	Chen	Soma Devi
4	कान्ता देवी/सोहनलाल	"	"	Sc	Kanta Devi
5	जीतराम/चैप्रराम	"	"	Chen	जीतराम
6	सोहनलाल/पिस्तुराम	"	"	Chen	सोहनलाल
7	सविता/रामपाल	"	"	Chen	सविता

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

8	रजनी देवी या 04/04/2019 राहु	सदस्य	कमल देवी	Sc	Rajni Devi
9	इन्द्र देवी या 04/04/2019 राहु	३	३	अध्यक्ष	इन्द्र देवी
10	बालवीर देवी या 04/04/2019 राहु	३	३	Sc	Balvi-Singh
11	निमल देवी या 04/04/2019 राहु	३	३	अध्यक्ष	निमल देवी
12	रघु देवी या 04/04/2019 राहु	३	३	३	रघु देवी
13	रमिता देवी या 04/04/2019 राहु	३	३	३	रमिता देवी
14	लता देवी या 04/04/2019 राहु	३	३	३	लता देवी
15	कमला देवी या 04/04/2019 राहु	३	३	३	कमला देवी
16	आशा देवी या 04/04/2019 राहु	३	३	३	आशा देवी

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु मोजा उप तहसील कलोल के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की हैं। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैं। प्रस्ताव सर्व-सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप हैं।

प्रधान

Asharham

सचिव

Jai Singh

वन अधिकारी

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत सलवाड़

विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव सं०... 1

दिनांक.....

वन अधिकार समिति ग्राम सभा ककरैहड़ की बैठक आज दिनांक 26-10-2018 को 11:00 AM बजे स्थान ककरैहड़ में श्री/श्रीमती आशा राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मोजा खरली उप तहसील कलोल जंगल / वन क्षेत्र में हि० प्र० लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता विभाग प्राप्त धनी से खरली तक प्रस्तावित सड़क के लिए खसरा न० 32/1 रकबा तादादी 0-7 बीघा (0-02-66 हेक्टेयर) भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित हैं। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०.सं०. पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्योरा

1. —

2. —

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा में इसकी सिफारिस करती हैं।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०.सं०. पात्र गांव वासी का नाम

1. —

2. —

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिस करती हैं।

या

उपरोक्त जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ककरैहड़

दिनांक 26-10-18

Jai Singh
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजख गांव
ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०) ककरैहड़

ग्रामवासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया हैं।

"प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती हैं।

Jai Singh

प्रधान

अधिकारी समिति

पंचायत सलवाड़

जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत सलवाड़

विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

Jai Singh

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजख गांव

ग्राम पंचायत सलवाड़, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

ग्राम पंचायत.....

वन अधिकार समिति मोजा ... ककरीह ... उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

सूचना

सूचना

सर्वसाधारण निवासी मोजा ... ककरीह ... परगना ... ककरीह ... उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.) के व्यस्क सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मुहाल सभा की बैठक का आयोजन दिनांक .. 09-11-2018 ... को किया जा रहा है । अतः उपरोक्त वार्ड के सभी वयस्क सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक ... 09-11-2018 ... को होने वाली मुहाल सभा / वार्ड सभा में भाग लेने की कृपा करे जिसमे लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण चपनी से खरली ... के लिए भूमि बारे चर्चा की जाएगी ।

सचिव Jai Singh ✓

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकार समिति, राजख गांव

ग्राम पंचायत कलोल, विकास खण्ड झण्डूता

मोजा ककरीह (हि०.प्र०.)

... परगना ककरीह ...

उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोजा ...क.क.र.ह.ह.... परगना ...क.स.ह.... तह झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र में खसरा न 32/1 खाता खातोंनी न में बीघा (हेक्टेयर) में वन अधिकार समिति के गठन हेतु मुहाल सभा की गई जिसमे मुहाल के कुल मतदाताओं का 1/2 भाग से अधिक मतदाता उपस्थित हुए। उपस्थित मतदाताओं/ लोगों नापने में से वन अधिकार समिति का गठन मुताबिक मार्ग दर्शिका 1/3 अनुसूचित जनजाति सदस्य और 1/3 महिला सदस्य जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वंहा इसके बदले 1/3 महिला सदस्य होंगी के अनुसार होगी।

वन अधिकार समिति के गठन के उपरान्त सूचना जगह -जगह मुहाल ...साविजनिक स्थानों पर चम्पान कर दी गई थी। 90 दिनों या जो भी लागु हो के भीतर किसी भी प्रकार का आक्षेप /आपत्ति नहीं हुई।

वन अधिकार समिति के गठन के 90 दिनों या जो भी लागु हो के उपरान्त समिति की बैठक कि गई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मोजा.....क.क.र.ह.ह.... परगना ...क.स.ह.... तह झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र में किसी का भी वन अधिकार का दावा /आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। समिति द्वारा प्रस्ताव प्रतिलिपि ग्राम पंचायत ...क.क.र.ह.ह.... हेतु प्रेषित क्र दी गई।

Asha R.
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत सलवाड़ विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
ग्राम ...क.क.र.ह.ह.... उप . तह

जिला बिलासपुर हि प्र

Jai Singh
प्रधान अधिकारी/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत सलवाड़ विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
ग्राम ...क.क.र.ह.ह.... उप . तह

जिला बिलासपुर हि प्र

[Signature]
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड़
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ANNEXURE-11

ग्राम सभा सलवाड

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या -- 13

दिनांक 23-1-2019.

ग्राम सभा सलवाड की अध्यक्षता में की गई जिसमें की बैठक आज दिनांक को 23-1-2019 बजे स्थान में श्री/श्रीमती परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नोजा तह झंडूता जंगल / वन क्षेत्र में उधोग विभाग हिमाचल प्रदेश, महा प्रबन्धक जिला उधोग केंद्र, बिलासपुर द्वारा आधोगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए खसरा न 32/1 रकवा तादादी 0.7... बीघा 0.92 हेक्टेयर) भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकारी समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाँववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का ताम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	—	करैड	—

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम
1	—

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

वन अधिकारी समिति, राजस्व गाँव

ग्राम पंचायत सलवाड, विकास खण्ड झण्डूता

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान करैड

दिनांक 23-1-2019.

Jai Singh

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गाँव

ग्राम पंचायत सलवाड, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

भूमि वन अधिकार का दावा प्राप्त

पंचायत सचिव

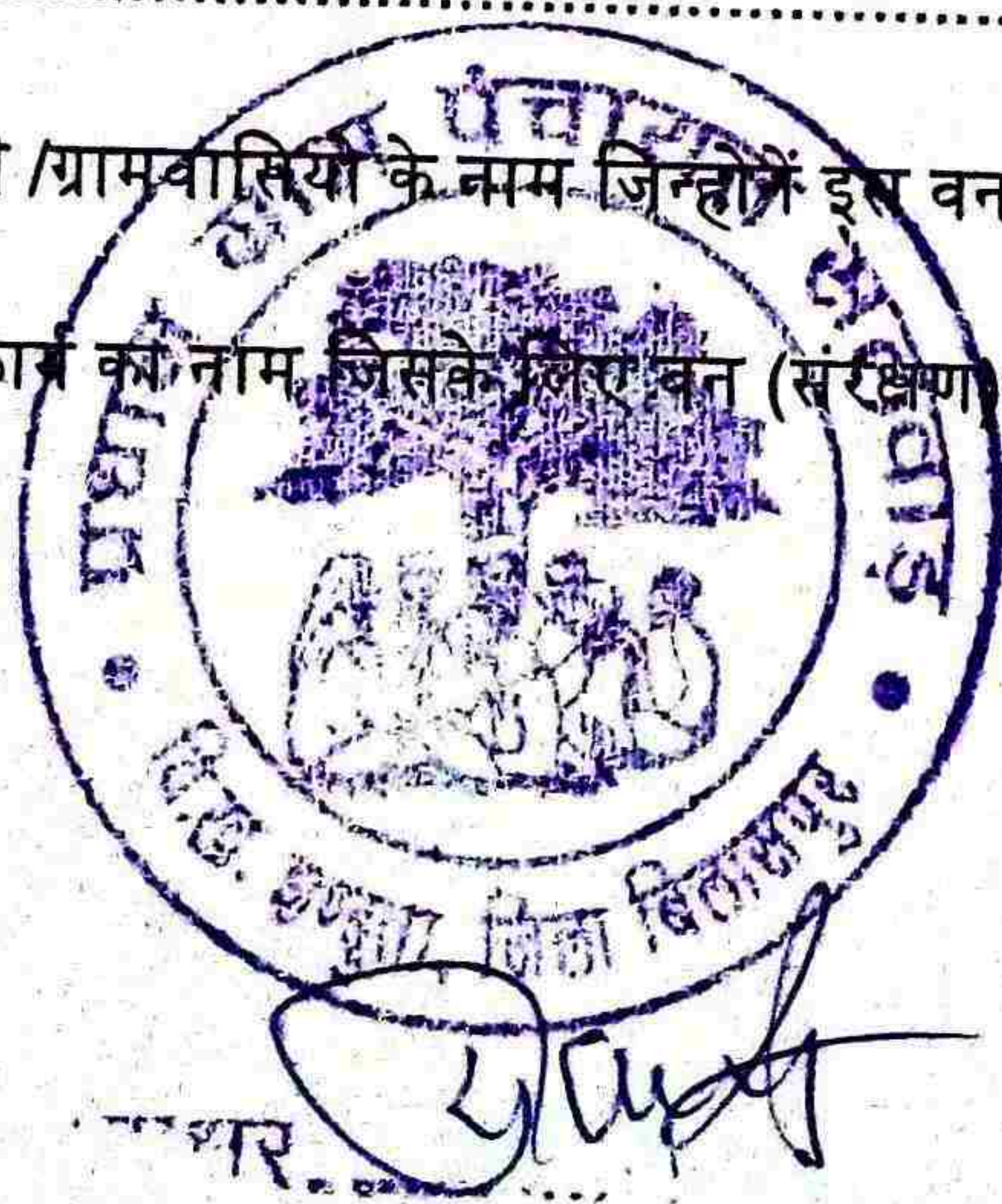
अधिवक्ता सलवाड

विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

ग्राम वासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

24

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ANNEXURE- V

ग्राम सभा सलवाड

विकाश खण्ड झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र

प्रतिलिपि प्रस्ताव 161

गणपूर्ति 161/600

दिनांक 23-01-2019

प्रस्ताव संख्या 13

विषय :- लोक निर्माण विभाग (हि.प्र.) के अधीन-गणसी खरली सड़क के निर्माण हेतु
हेतु मोजा 32/1 तह झंडूता में जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा न रकबा तादादी बीघा
(..... हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा सलवाड की बैठक आज दिनांक 23-01-2019 को 2 बजे स्थान सलवाड

में की गई जिसमें अधिसूचित विभाग हिमाचल प्रदेश / संस्था को आधोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु
जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा न 32/1 रकबा तादादी 0-7 बीघा (0.02-66
हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व-सम्मति से यह पारित किया गया की उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / क ली गई है तथा प्रस्तावित खसरा न रकबा तादादी बीघा (..... हेक्टेयर) वन भूमि को आधोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सलवाड की सहमति दी जाती है।

स्थान सलवाड

दिनांक 23-01-19

अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत सलवाड, विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.0)

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव
ग्राम पंचायत सलवाड, विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.0)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड
विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.0)



पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सलवाड
विकास खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (हि.प्र.0)

(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated

2019

3562

31/10/2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05th February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.26.36 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **H.P.P.W.D. for the construction of Dhani to Kharli road** which falls in jurisdiction of Village Malhot, Kakrahd, Jangle Behal, Behal, Kharli, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur. H.P.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.26.36 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

Rajeshwar Goel (I.A.S.)

Dputy Commissioner,

Distt. Bilaspur, H.P.

dated 29-10-2019

Endst No- as above-

Copy to the Executive Engineer, H.P.P.W.D. Division, Ghumarwin, Distt. Bilaspur, H.P. for further necessary action.

Dputy Commissioner,

Distt. Bilaspur, H.P.

Received 5 folder of Road C/o
Dhani to Kharli 9.345

3/11/19
Vatikan & Associates
Gurgaon

चेक लिस्ट

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
१	मुहाल सभा की बैठक	कुल ब्यस्क सदस्यों की १/२ कोरम हों
२	एफ. आर. सी.	१० से १५ सदस्य १/३ अनुसूचित जनजाति सदस्य और १/३ महिला सदस्य जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वहाँ १/३ इसके बदले महिला सदस्य होंगी) हों
३	१० दिनों की घोषणा (जहाँ लागू हो)	हाँ
४	२० दिनों के बाद एफ. आर. सी. की बैठक	हाँ
५	मुहाल सभा की बैठक	हाँ
६	मुहाल सभा दावेदारों के दावों को दस्तावेजों के साथ एस. डी.एल को अग्रेषित करेगी	एफ. आर. सी का प्रस्ताव (अनुलग्नक सलंगन) हों मुहाल सभा का प्रस्ताव (सलंगन) हों दोनों मुहाल सभाओं की कार्यवाही उपस्थिति सहित (सलंगन) हों
७	एस. डी.एल द्वारा ६० दिनों की समाप्ति पर दावों पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त दावों /अक्षेपों पर की गई कार्यवाही डी.एल.सी.को भेजी	

१ से ६ रिकार्ड के अनुसार प्रमाणित ।


 हस्ताक्षर
 ब्लॉक विकास अधिकारी
 सचिव ग्राम पंचायत

२ से ६ सचिव/ सहायक ग्राम पंचायत

की रिपोर्ट अनुसार प्रमाणित ।

हस्ताक्षर

 ब्लॉक विकास अधिकारी
 Dev. Block Jhandutta.
 जिला बिलासपुर (हि प्र)

६ रिकार्ड के अनुसार प्रमाणित ।


 Sub-Divisional Officer (C)
 जिला अधिकारी (ना.)
 Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)
 झंडूता, जिला बिलासपुर (हि प्र)

(2)

राजस्व गाव का नाम :- बैहल

राजस्व गाव का नाम	प्रथम मुहाल सभा जिसमे वन अधिकार समिति का गठन किया गया		90 दिनों या जो भी लागु हो, के बाद समिति की बैठक की तिथि	दूसरी मुहाल सभा की तिथि	
	बैठक की तिथि	उपस्थिति		बैठक की तिथि	उपस्थिति
बैहल	10.07.2018	$\frac{50}{52}$	26.10.2018	9.11.2018	$\frac{50}{52}$

Auph
 सचिव
 ग्राम पंचायत धपलोआ
 जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

उप तहसील कलोल

जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

क्रमांक: ग्राम पंचायत/पपलोआ/2018/
ग्राम पंचायत पपलोआ उप तहसील कलोल
जिला बिलासपुर (हि०. प्र०)
दिनांक:

सूचना

सर्व साधारण राजस्व गाव बेहल मोजा बेहल परगना वसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि०.प्र०. के व्यस्क सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकार समिति के गठन हेतु उपरोक्त वार्ड की मुहाल सभा का आयोजन दिनांक 10.07.2018 को किया जाना है अतः; उपरोक्त वार्ड के राजस्व गाव के व्यस्क सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक को होने वाली मुहाल सभा / वार्ड सभा में भाग लेने की किरपा करें।


पंचायत पंचिव
ग्राम पंचायत पपलोआ
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

उप तहसील कलोल

जिला बिलासपुर हि०.प्र०.

दिनांक: 05.07.2018

प्र०स० - उपरोक्त -

प्रतिलिपि :-

1. ग्राम पंचायत पपलोआ सूचना पट्ट ।
2. उपरोक्त वार्ड मुहाल के मुख्य स्थानों के चस्पान हेतु ।


ग्राम पंचायत पपलोआ
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

Q. 19212-18
5/11/19
Lt. G. Arora

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NO;-PW/GHD/CB/WA/FOREST CASE/2018
To

19212-18

DATED... 2-1-2019

The Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, Distt. Bilaspur H.P.

Subject:-

Regarding diversion of 3.26 hect. of forest land for the construction of Dhani to Kharli road (issue of NOC under Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act. 2006.)

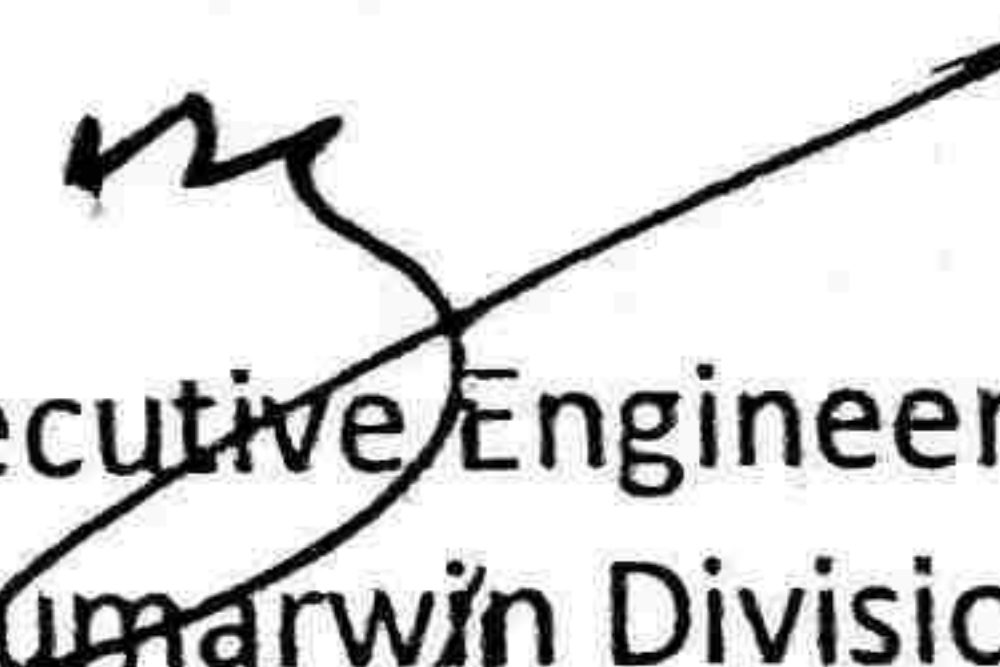
Reference:-

Your office letter No. JHD/FRA/1(1)/2018-4095 dated 11-12-2018.

Please refer to your office letter under reference address to worthy Deputy Commissioner Bilaspur and copy endorsed to this office vide which three No. cases for issue of N.O.C. under Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act. 2006 were submitted to Worthy Deputy Commissioner Bilaspur. In addition to three No. cases, case of issue of N.O.C. under ST&OTFD Act. 2006 in respect of Dhani to Kharli road is also required to be submitted to Deputy Commissioner Bilaspur for consideration in Distt. Level Forest Right Committee.

It is, therefore, requested that the case for issue of N.O.C. Under ST&OTFD may please be forwarded to the Deputy Commissioner Bilaspur for issue of N.O.C. as the road is proposed to be constructed under P.M.G.S.Y. as the entire formalities for the diversion of forest land except has been completed.

This is for your information please.


Executive Engineer,
Ghumarwin Division,
H.P.P.W.D. Ghumarwin.

Copy is forwarded to the Assistant Engineer H.P.P.W.D. Sub-Division Kalol for information and necessary action. He is requested to attend office of S.D.M. Jhandutta for early submission of case for issue of N.O.C. under ST&OTFD.

1
Executive Engineer,
Ghumarwin Division,
H.P.P.W.D. Ghumarwin.

वन अधिकार से जुड़े दावों / आक्षेपों के लिए नोटिस

राजस्व गांव बेहल मोजा बेहल परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० वन अधिकारों सम्बन्धित दावे प्रस्तुत करने हेतु नोटिस -

राजस्व गांव बेहल मोजा बेहल परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० वन अधिकार समिति दिनांक...10.07.2018... को गठित की गई है। अब वन अधिकार समिति बाबत राजस्व गांव खरली में रहने वाले सभी मुहाल सभा सदस्यों को नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मोजा बेहल परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० में खसरा न०.110/1,127,82/1 खाता खतोनी न०. में 1-2 बीघा (0-00.27 हेक्टेयर) भूमि में सड़क निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है की वन भूमि के सम्बन्ध में सर्व साधारण से अनुमूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावे एवं आक्षेप मांगे जाते हैं यह दावे आज दिनांक 16.7.18 से 90 दिनों या जो भी लागु होगा के भीतर वन अधिकार समिति मोजा बेहल के पास प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

1. दावे व्यक्तिगत या समूह / सामुदायिक तोर पर दिये जा सकते हैं
2. दावे उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत (क) से (ड) तक दी गई श्रेणियों के लिए दिये जा सकते हैं। (इन धाराओं का अवलोकन वन अधिकार समिति के पास कर सकता है।)
3. वन भूमि के व्यक्तिगत अधिकार के दावे नियमों में दिये गये प्रारूप (क) को भर कर दिये जाने हैं।
4. वन भूमि के सामुदायिक अधिकार के दावे नियमों के प्रारूप (ख) को भरकर दिये जाने है।
5. प्रारूप क व ख की प्रति आवेदकों को वन अधिकार समिति द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. प्रारूप क व ख में उपरोक्त अधिनियम / नियम की एक प्रति वन अधिकार समिति के सचिव के पास उपलब्ध हैं जिसका अवलोकन आवेदक किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 11:00 से सायः 3:00 बजे तक कर सकते हैं।

दिनांक:- 16.7.2018

राजेश कुमार

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव बेहल

ग्राम पंचायत पपलोआ ग्राम पंचायत पपलोआ ग्राम पंचायत पपलोआ

जिला बिलासपुर (हि० प्र०.)

Apil
सचिव
ग्राम पंचायत पपलोआ
ग्राम पंचायत पपलोआ ग्राम पंचायत पपलोआ
जिला बिलासपुर (हि० प्र०.)
उप तहसील कलोल

जिला बिलासपुर (हि० प्र०.)

प्रतिलिपि :-

1. ग्राम पंचायत पपलोआ सूचना पट्ट।
2. उपरोक्त वार्ड मुहाल के मुख्य स्थानों के चस्पान हेतु।

Apil
सचिव
ग्राम पंचायत पपलोआ
ग्राम पंचायत पपलोआ ग्राम पंचायत पपलोआ
जिला बिलासपुर (हि० प्र०.)
उप तहसील कलोल

जिला बिलासपुर (हि० प्र०.)

वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत पफोआ उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि०.प्र०.

आज दिनांक 26.10.2018 ... को वन अधिकार समिति ग्राम बैहल की बैठक अध्यक्ष श्री दोलतराम की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व -सहमती से निम्नलिखित कार्यवाही अम्ल में लायी गयी ।

प्रस्ताव संख्या :-

विषय :- निर्माण सडक धनी से खरली हेतु मोजा बैहल उप तहसील कलोल के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र ।

बैठक में सभी उपस्थित ग्राम वासियों ने सम्बिन्दत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरांत सर्व -सहमती से यह निर्णय लिया की ग्राम खरली के अन्तरगत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपति नहीं हैं इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

क्र.स.	नाम व पिता /पति का नाम	पदनाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1	<u>दोलतराम</u> <u>श्री</u> <u>लहरिभाराम</u>	<u>प्रधान</u>	<u>बैहल</u>	<u>स.त</u>	<u>दोलतराम</u>
2	<u>राजेंद्र कुमार</u> <u>श्री</u> <u>विशानदास</u>	<u>साचीव</u>	<u>"</u>	<u>स.ल</u>	<u>राजेंद्र कुमार</u>
3	<u>शैशनी देवी</u> <u>श्री</u> <u>कुमार</u>	<u>सदस्य</u>	<u>"</u>	<u>स.त</u>	<u>शैशनी देवी</u>
4	<u>रिखीराम</u> <u>श्री</u> <u>काशीराम</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>स.ल</u>	<u>रिखीराम</u>
5	<u>जमना देवी</u> <u>श्री</u> <u>काशीराम</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>स.त</u>	<u>जमना देवी</u>
6	<u>विमला देवी</u> <u>श्री</u> <u>चन्तराम</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>स.त</u>	<u>विमला देवी</u>
7	<u>विपिन कुमार</u> <u>श्री</u> <u>राम</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>स.त</u>	<u>विपिन कुमार</u>
8	<u>सुभाष चन्द</u> <u>श्री</u> <u>रिखीराम</u>	<u>"</u>	<u>"</u>	<u>स.ल</u>	<u>सुभाष चन्द</u>

9	अनन्दादेवी क. राज कुमार	सदस्य	वेहल	S.T	अनन्दादेवी
10	विजय कुमार डा. निष्काम	"	"	S.T	विजय कुमार

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु मोजा वेहल उप तहसील कलोल के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्व-सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है।

प्रधान **दीपक राय**

वन अधिकारी समिति
वन अधिकारी समिति, राजस्थान एवं वेहल
.....
जान पंचायत, बली, विकास ग्रन्थ इन्दौरा
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

अनन्दादेवी

अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजस्थान एवं वेहल
वन अधिकारी समिति
जान पंचायत, बली, विकास ग्रन्थ इन्दौरा
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

वन अधिकार समिति

ANNEXURE - I

ग्राम सभा... बेहल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव सं०... 1

दिनांक.....

वन अधिकार समिति ग्राम सभा बेहल की बैठक आज दिनांक 26.10.2018 को 11:00 AM बजे स्थान बेहल में श्री/श्रीमती दोलत राम गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भोजा खरली उप तहसील कलोल जंगल / वन क्षेत्र में हि०.प्र०.लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता विभाग प्राप्त धनी से खरली तक प्रस्तावित सड़क के लिए खसरा न०.110/1,127,82/1 रकबा तादादी 1-2 बीघा (0-00.27 हेक्टेयर) भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित हैं। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०.सं०.	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्योरा
-----------	------------------------	-------------	---------------------

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा में इसकी सिफारिस करती हैं।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०.सं०. पात्र गांव वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिस करती हैं।

या

..... उपरोक्त जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान... बेहल

दिनांक... 26.10.2018

राजेश कुमार
अधिकृत, वन अधिकारकर्ता
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजस्थान गांव बेहल
ग्राम पंचायत धनी विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

ग्रामवासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया हैं।

"प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती हैं।

प्रधान

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्थान गांव बेहल

ग्राम पंचायत धनी विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

सचिव

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्थान गांव बेहल

ग्राम पंचायत धनी विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

सचिव वन अधिकार समिति

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्थान गांव बेहल

ग्राम पंचायत धनी विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

वन अधिकार समिति मोजा बेहल उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

सूचना

सर्वसाधारण निवासी मोजा बेहल परगना वसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.) के व्यस्क सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मुहाल सभा की बैठक का आयोजन दिनांक... 09.11.2018 को किया जा रहा है। अतः उपरोक्त वार्ड के सभी वयस्क सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 09.11.2018 को होने वाली मुहाल सभा / वार्ड सभा में भाग लेने की कृपा करे जिसमे लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण धनी से खरली के लिए भूमि बारे चर्चा की जाएगी।

रजिन्द्र कुमार

सचिव

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजख गांव बेहल
ग्राम पंचायत धर्म विकास अण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

मोजा... बेहल परगना... वसेह
....

उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोजा वेहल परगना कसेह तह झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र में खसरा न 110/1,127,82/1 खाता खातोंनी न में 1-2 बीघा (0-00.27हेक्टेयर) में वन अधिकार समिति के गठन हेतु मुहाल सभा की गई जिसमे मुहाल के कुल मतदाताओं का ½ भाग से अधिक मतदाता उपस्थित हुए। उपस्थित मतदाताओं/ लोगों नापने में से वन अधिकार समिति का गठन मुताबिक मार्ग दर्शिका 1/3 अनुसूचित जनजाति सदस्य और 1/3 महिला सदस्य जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वंहा इसके बदले 1/3 महिला सदस्य होंगी के अनुसार होगी।

वन अधिकार समिति के गठन के उपरान्त सुचना जगह-जगह मुहाल सावित्री स्थानों पर चस्पान कर दी गई थी। 90 दिनों या जो भी लागु हो के भीतर किसी भी प्रकार का आक्षेप/आपत्ति नहीं हुई।

वन अधिकारसमिति के गठन के 90 दिनों या जो भी लागु हो के उपरान्त समिति की बैठक कि गई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मोजा वेहल परगना कसेह उप तह कलोल जिला बिलासपुर हि प्र में किसी का भी वन अधिकार का दावा/आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। समिति द्वारा प्रस्ताव प्रतिलिपि ग्राम पंचायत पपलोआ हेतु प्रेषित क्र दी गई।

रजेंद्र कुमार
सचिव सचिव
वन अधिकार समिति, राजख गांव वेहल
ग्राम पंचायत, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
ग्राम वेहल उप. तह
जिला बिलासपुर हि

दौलतराम
प्रधान
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकार समिति, राजख गांव वेहल
ग्राम पंचायत, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
ग्राम वेहल उप. तह
जिला बिलासपुर हि प्र

पपलोआ
ग्राम पंचायत पपलोआ
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ANNEXURE-11

ग्राम सभा पपलोआ

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या -- 10

दिनांक

ग्राम सभा पपलोआ की बैठक आज दिनांक को 24.1.2019 बजे स्थान में श्री/श्रीमती प्रेमिलदेवी की अध्यक्षता में की गई जिसमें गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मोजा वेहल उप तह कलोल जंगल / वन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण धनी से खरली के लिए खसरा न 110/1,127,82/1 रकबा तादादी 1-2 बीघा (0-00.27 हेक्टेयर) भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकारी समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाँववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	—	<u>वेहल</u>	—

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम
1	—

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान पपलोआ

दिनांक 24.1.2019

पपलोआ
ग्राम पंचायत पपलोआ
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि 0 प्र 0)

ग्राम वासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

राशि ...
दिनांक ...

पपलोआ
ग्राम पंचायत पपलोआ
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि 0 प्र 0)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ANNEXURE- V

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा पपलोआ

विकाश खण्ड झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र

प्रतिलिपि प्रस्ताव ----

गणपूर्ति 117/554

दिनांक 24.1.2019

प्रस्ताव संख्या ----- 10

विषय :- लोक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण धनी से खरली हेतु मोजा वैहल तह झंडूता में जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा न 110/1,127,82/1 रकवा तादादी.....1-2वीघा(0-00.27हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा पपलोआ की बैठक आज दिनांक 24.01.2019 को 2:00 बजे स्थान पपलोआ

में की गई जिसमें ~~उपरोक्त विभाग द्वारा सड़क निर्माण धनी से खरली~~ लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण धनी से खरली हेतु वैहल

जंगल /वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा न 110/1,127,82/1 रकवा तादादी1-2वीघा (0-00.27 हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व-सम्मति से यह पारित किया गया की उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है /क ली गई है तथा प्रस्तावित खसरा न 110/1,127,82/1 रकवा तादादी.....1-2वीघा (0-00.27.....हेक्टेयर) वन भूमि को ~~अधोनि. क्षेत्र में स्थापना~~ सड़क निर्माण धनी से खरली हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा पपलोआ की सहमति दी जाती है।

स्थान पपलोआ

दिनांक 24.01.2018



प्रस्तावक Bonib
दिनांक

Aspi
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
विकास खण्ड झंडूता
ग्राम सभा बिलासपुर जिला बिलासपुर

चेक लिस्ट

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
१	मुहाल सभा की बैठक	कुल ब्यस्क सदस्यों की १/२ कोरम हों
२	एफ. आर. सी.	१० से १५ सदस्य १/३ अनुसूचित जनजाति सदस्य और १/३ महिला सदस्य जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वहाँ १/३ इसके बदले महिला सदस्य होंगी) हों
३	१० दिनों की घोषणा (जहाँ लागु हो)	हाँ
४	२० दिनों के बाद एफ. आर. सी. की बैठक	हाँ
५	मुहाल सभा की बैठक	हाँ
६	मुहाल सभा दावेदारों के दावों को दस्तावेजों के साथ एस. डी.एल को अग्रेषित करेगी	एफ. आर. सी का प्रस्ताव (अनुलग्नक सलगन) हों मुहाल सभा का प्रस्ताव (सलगन) हों दोनों मुहाल सभाओं की कार्यवाही उपस्थिति सहित (सलगन) हों
७	एस. डी.एल द्वारा ६० दिनों की समाप्ति पर दावों पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त दावों /अक्षेपों पर की गई कार्यवाही डी.एल.सी.को भेजी	

१ से ६ रिकार्ड के अनुसार प्रमाणित ।


 पंचायत सचिव
 हस्ताक्षर
 ग्राम पंचायत धणी
 विकास खण्ड झण्डता
 जिला बिलासपुर (हि ० प्र ०)

२ से ६ सचिव/ सहायक ग्राम पंचायत *धणी* की रिपोर्ट अनुसार प्रमाणित ।

हस्ताक्षर

 खण्ड विकास अधिकारी झण्डता
 Block Dev. Officer
 Block Jhandutta.
 जिला बिलासपुर (हि प्र)

६ रिकार्ड के अनुसार प्रमाणित ।


 उप-संडल अधिकारी (सा.)
 Sub Divisional Officer (C.)
 Jhandutta District Bilaspur (H.P.)
 झण्डता, जिला बिलासपुर (हि प्र)

2

राजस्व गाव का नाम :- रवरली

राजस्व गाव का नाम	प्रथम मुहाल सभा जिसमे वन अधिकार समिति का गठन किया गया		90 दिनों या जो भी लागु हो, के बाद समिति की बैठक की तिथि	दूसरी मुहाल सभा की तिथि	
	बैठक की तिथि	उपस्थिति		बैठक की तिथि	उपस्थिति
रवरली	10.07.2018	230/342	26.10.2018	9.11.2018	230/342

Alhandy
 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत घणी
 विकास खण्ड झण्डता
 जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

उप तहसील कलोल

जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

क्रमांक: ग्राम पंचायत / धणी / 2018/
 ग्राम पंचायत धणी उप तहसील कलोल
 जिला बिलासपुर (हि०. प्र०)
 दिनांक:

सूचना

सर्व साधारण राजस्व गाव खरली मोजा खरली परगना वसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि०.प्र०. के व्यस्क सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकार समिति के गठन हेतु उपरोक्त वार्ड की मुहाल सभा का आयोजन दिनांक 10.07.2018 को किया जाना है अतः; उपरोक्त वार्ड के राजस्व गाव के व्यस्क सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक 10.7.2018 को होने वाली मुहाल सभा / वार्ड सभा में भाग लेने की किरपा करें।

Handy
 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत धणी
 विकास पंचायत धणी
 जिला बिलासपुर (हि० प्र०)
 उप तहसील कलोल

जिला बिलासपुर हि०.प्र०.

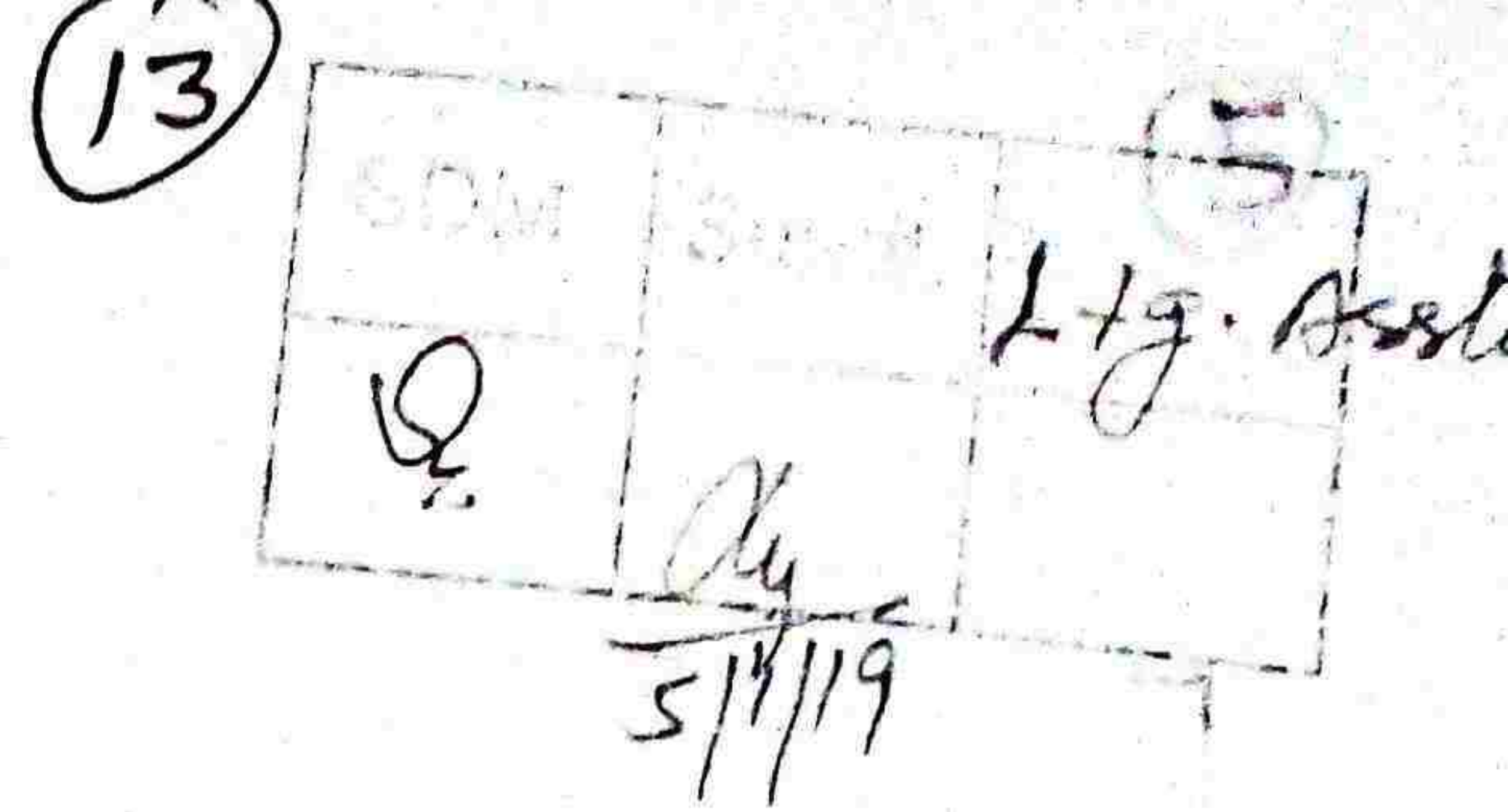
दिनांक: 05.7.2018

प्र०स० - उपरोक्त -

प्रतिलिपि :-

1. ग्राम पंचायत धणी सूचना पट्ट ।
2. उपरोक्त वार्ड मुहाल के मुख्य स्थानों के चस्पान हेतु ।

Handy
 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत धणी
 विकास खण्ड झण्डता
 जिला बिलासपुर (हि० प्र०)



HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NO:-PW/GHD/CB/WA/FOREST CASE/2018
To

19212-18

DATED... 2-1-2019

The Sub-Divisional Magistrate,
Jhandutta, Distt. Bilaspur H.P.

Subject:-

Regarding diversion of 3.26 hect. of forest land for the construction of Dhani to Kharli road (issue of NOC under Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act. 2006.)

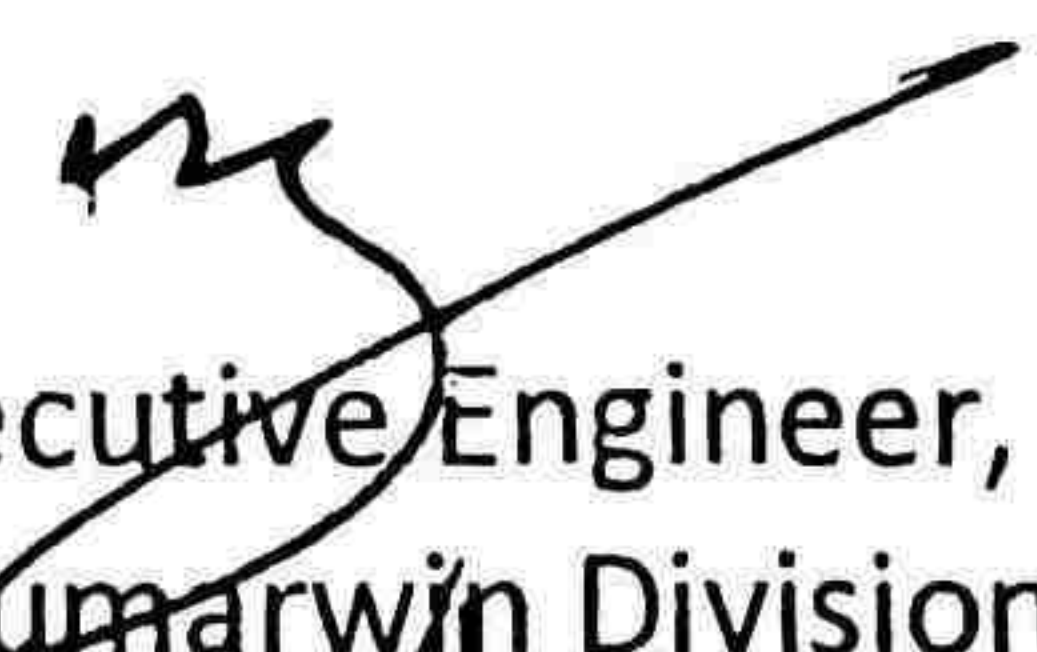
Reference:-

Your office letter No. JHD/FRA/1(1)/2018-4095 dated 11-12-2018.

Please refer to your office letter under reference address to worthy Deputy Commissioner Bilaspur and copy endorsed to this office vide which three No. cases for issue of N.O.C. under Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act. 2006 were submitted to Worthy Deputy Commissioner Bilaspur. In addition to three No. cases, case of issue of N.O.C. under ST&OTFD Act. 2006 in respect of Dhani to Kharli road is also required to be submitted to Deputy Commissioner Bilaspur for consideration in Distt. Level Forest Right Committee.

It is, therefore, requested that the case for issue of N.O.C. Under ST&OTFD may please be forwarded to the Deputy Commissioner Bilaspur for issue of N.O.C. as the road is proposed to be constructed under P.M.G.S.Y. as the entire formalities for the diversion of forest land except has been completed.

This is for your information please.


Executive Engineer,
Ghumarwin Division,
H.P.P.W.D. Ghumarwin.

Copy is forwarded to the Assistant Engineer H.P.P.W.D. Sub-Division Kalol for information and necessary action. He is requested to attend office of S.D.M. Jhandutta for early submission of case for issue of N.O.C. under ST&OTFD.

1
Executive Engineer,
Ghumarwin Division,
H.P.P.W.D. Ghumarwin.

वन अधिकार से जुड़े दावों / आक्षेपों के लिए नोटिस

राजस्व गांव खरली मोजा खरली परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० वन अधिकारों सम्बन्धित दावे प्रस्तुत करने हेतु नोटिस -

राजस्व गांव खरली मोजा खरली परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० वन अधिकार समिति दिनांक. **16.07.2018**... को गठित की गई है। अब वन अधिकार समिति बाबत राजस्व गांव खरली में रहने वाले सभी मुहाल सभा सदस्यों को नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मोजा खरली परगना बसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि० प्र० में खसरा न०. 32/1,230,199,27/1,233,27/1,235,27/1,206,197,17/1,202,197/1,207,82/193,216,135/1,214,135/1,212,82/1,149/1,220,163/1,180/1,68/1,59/1 खाता खतोनी न०. में 25-16 बीघा (1-94-08 हेक्टेयर) भूमि में सड़क निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है की वन भूमि के सम्बन्ध में सर्व साधारण से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावे एवं आक्षेप मांगे जाते हैं यह दावे आज दिनांक **16/7/18** से 90 दिनों या जो भी लागू होगा के भीतर वन अधिकार समिति मोजा खरली के पास प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

1. दावे व्यक्तिगत या समूह / सामुदायिक तोर पर दिये जा सकते हैं
2. दावे उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत (क) से (ड) तक दी गई श्रेणियों के लिए दिये जा सकते हैं। (इन धाराओं का अवलोकन वन अधिकार समिति के पास कर सकता है।)
3. वन भूमि के व्यक्तिगत अधिकार के दावे नियमों में दिये गये प्रारूप (क) को भर कर दिये जाने हैं।
4. वन भूमि के सामुदायिक अधिकार के दावे नियमों के प्रारूप (ख) को भरकर दिये जाने हैं।
5. प्रारूप क व् ख की प्रति आवेदकों को वन अधिकार समिति द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. प्रारूप क व् ख में उपरोक्त अधिनियम / नियम की एक प्रति वन अधिकार समिति के सचिव के पास उपलब्ध हैं जिसका अवलोकन आवेदक किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 11:00 से सायः 3:00 बजे तक कर सकते हैं।

दिनांक:- **16.07.2018**



अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव **खरली**
ग्राम पंचायत धनी, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

प्रतिलिपि :-

1. ग्राम पंचायत धनी सूचना पट्ट।
2. उपरोक्त वार्ड मुहाल के मुख्य स्थानों के चस्पान हेतु।


सचिव
ग्राम पंचायत धनी
ग्राम पंचायत धनी झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)
उप तहसील कलोल

जिला बिलासपुर (हि०. प्र०.)


सचिव
ग्राम पंचायत धनी
ग्राम पंचायत धनी झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)
उप तहसील कलोल

जिला बिलासपुर (हि०. प्र०.)

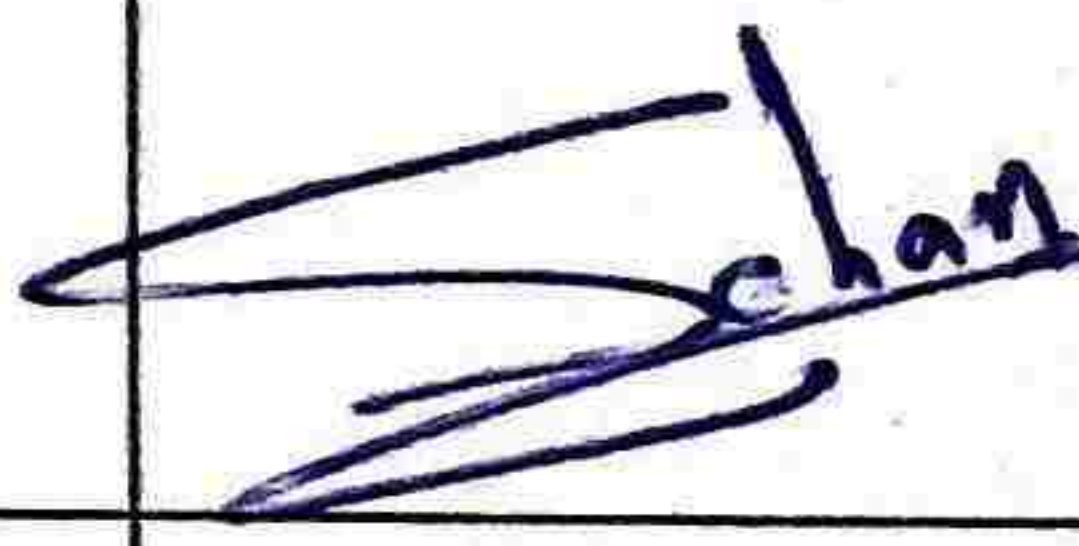
ग्राम पंचायत ~~खरली~~ उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर हि०.प्र०.

आज दिनांक 26.10.2018.... को वन अधिकार समिति ग्राम ~~खरली~~ की बैठक अध्यक्ष श्री जगदीश चन्द.....की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व -सहमती से निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

प्रस्ताव संख्या:-

विषय :- निर्माण सड़क ~~खरली~~ हेतु मोजा ~~खरली~~ उप तहसील कलोल के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी हेतु अनापति प्रमाण पत्र ।

बैठक में सभी उपस्थित ग्रामवासियों ने सम्बिन्दत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग में उद्देश्यों को पूरी तरह समझने उपरांत सर्व -सहमती से यह निर्णय लिया की ग्राम खरली के अन्तरगत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपति नहीं है इस बैठक में निम्न वन अधिकार समिति ने भाग लिया :-

क्र.स.	नाम व पिता /पति का नाम	पदनाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1	जगदीशचन्द डा० इन्द्रराम	प्रधान	खरली	S.T	जगदीशचन्द
2	सोहनलाल डा० जीवि राम	सचिव	॥	S.T	
3	अंजना देवी डा० संतोष कुमार	सदस्य	॥	S.T	Anjma Devi
4	सोमा देवी डा० ठाकुर दास	॥	॥	S.T	सोमा देवी
5	बग्गो देवी डा० नानक चन्द	॥	॥	S.T	बग्गो देवी
6	रूपलाल डा० रामपाल	॥	॥	S.C	रूपलाल
7	धर्म सिंह डा० महेंद्र राम	॥	॥	Deh.	Dharm Singh
8	देशराज डा० प्रेमराम	॥	॥	॥	देशराज

9	फेगूराम डा. मुन्शी राम	सदस्य	ड.ट	रवली	
10	वित्ठूराम डा. प्रेमराम	॥	ड.स	॥	

बैठक में उपरोक्त प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु मोजा रवली उप तहसील कलोल के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की हैं। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैं। प्रस्ताव सर्व-सहमति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप हैं।

प्रधान

जगदीश चन्द

वन अधिकार

.....

अध्यक्ष/सचिव

सर्वसहकारी समिति, राजस्थान गांव रवली

ग्राम पंचायत धनी, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)


सचिव

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकारी नियमित समिति गांव रवली

ग्राम पंचायत धनी, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

वन अधिकार समिति

ANNEXURE-1

ग्राम सभा...खरली.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. 1.....

दिनांक.....

वन अधिकार समिति ग्राम सभा खरली की बैठक आज दिनांक 26.10.2018 को 11:00 AM बजे स्थान खरली में श्री/श्रीमती जगदीश चन्द की अध्यक्षता में की गई जिसमें खरली गाव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मोजा खरली उप तहसील कलोल जंगल / वन क्षेत्र में हि०.प्र०.लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता विभाग प्राप्त धनी से न०. 32/1,230/199,27/1,233,27/1,235,27/1,206/197,17/1,202,197/1,207/92,193,216,135/1,214,135/1,212/82,194,149/1,220,163/1,180/1,68/1, 59/1 रकबा तादादी 25-16 बीघा (1-94-08 हेक्टेयर) भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित हैं। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गाव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०.सं. पात्र गाव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्योरा

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा में इसकी सिफारिस करती हैं।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०.सं. पात्र गाव वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिस करती हैं।

या

उपरोक्त जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान...खरली.....

दिनांक...26.10.2018.....

Sahay
अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राज्य गांव खरली
ग्राम सभा
ग्राम पंचायत धनी, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

ग्रामवासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया हैं।

"प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती हैं।

प्रधान जगदीश चन्द
ग्राम पंचायत खरली
वन अधिकारी समिति, राज्य गांव खरली
ग्राम पंचायत धनी, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

Abhandy
सचिव
ग्राम पंचायत खरली
वन अधिकारी समिति, राज्य गांव खरली
ग्राम पंचायत धनी, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

Sahay
सचिव वन अधिकारी समिति, राज्य गांव खरली
ग्राम पंचायत धनी, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

दिनांक - 5.11.2018

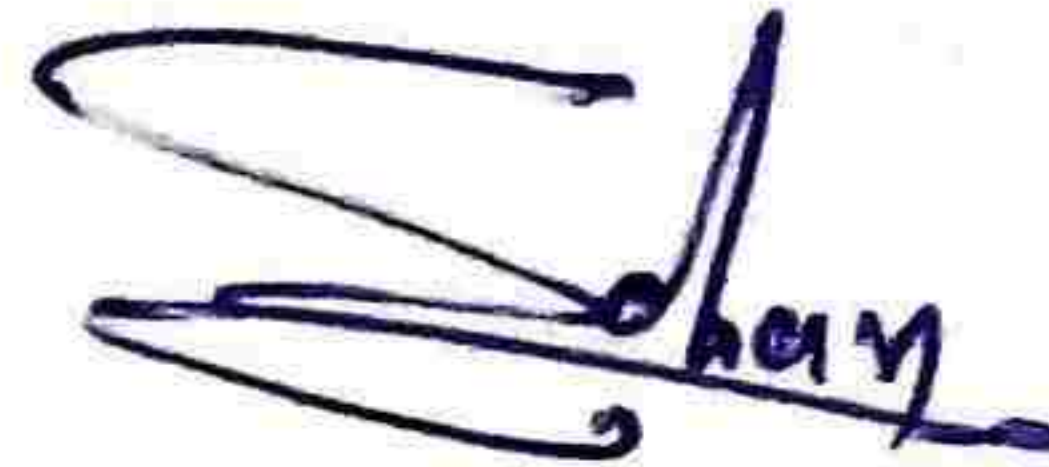
वन अधिकार समिति मोजा ... खरली उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

~~सूचना~~

सूचना

सर्वसाधारण निवासी मोजा खरली परगना ... वसेह उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.) के व्यस्क सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मुहाल सभा की बैठक का आयोजन दिनांक ... 09.11.2018 को किया जा रहा है। अतः उपरोक्त वार्ड के सभी वयस्क सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक ... 09.11.2018 को होने वाली मुहाल सभा / वार्ड सभा में भाग लेने की कृपा करे जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण घाणी से खरली ... के लिए भूमि बारे चर्चा की जाएगी।

सचिव



वन अधिकार समिति

अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव खरली

मोजा . ग्राम पंचायत घाणी, विकास खण्ड इन्द्रा

... खरली (हि०प्र०)

वसेह ...

उप तहसील कलोल जिला बिलासपुर (हि०.प्र०.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोजारवेली..... परगनाकसेह..... तह झंडूता जिला
बिलासपुर हि प्र में खसरा

न०.32/1,230/199,27/1,233,27/1,206/197,17/1,202,197/1,207/92,193,216,135/1,
214,135/1,212/82,194,149/1,220,163/1,180/1,68/1,59/1 खाता

खातोंनी न में 25-16 बीघा (1-94-08हेक्टेयर) में वन अधिकार समिति के गठन हेतु
मुहाल सभा की गई जिसमे मुहाल के कुल मतदाताओं का ½ भाग से अधिक मतदाता उपस्थित
हुए। उपस्थित मतदाताओं/ लोगों नापने में से वन अधिकार समिति का गठन मुताबिक मार्ग
दर्शिका 1/3 अनुसूचित जनजाति सदस्य और 1/3 महिला सदस्य जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं
है वंहा इसके बदले 1/3 महिला सदस्य होंगी के अनुसार होगी।

वन अधिकार समिति के गठन के उपरान्त सुचना जगह -जगह मुहालसावजी..... स्थानों
पर चस्पान कर दी गई थी। 90 दिनों या जो भी लागु हो के भीतर किसी भी प्रकार का आक्षेप
/आपति नहीं हुई।

वन अधिकारसमिति के गठन के 90 दिनों या जो भी लागु हो के उपरान्त समिति की बैठक कि
गई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मोजा.....रवेली..... परगनाकसेह..... उप
तह. कलोल जिला बिलासपुर हि प्र में किसी का भी वन अधिकार का दावा /आक्षेप प्राप्त नहीं
हुआ। समिति द्वारा प्रस्ताव प्रतिलिपि ग्राम पंचायतधणी..... हेतु प्रेषित क्र दी गई।

Sahay
सचिव सचिव

अध्यक्ष/सचिव
वन अधिकार समिति गांव रवेली
ग्राम पंचायत धणी, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
ग्रामरवेली..... उप. तह कलोल

जिला बिलासपुर हि

प्रधान जगदीश चन्द

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकार समिति गांव रवेली
ग्राम पंचायत धणी, विकास खण्ड झण्डूता

जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
ग्रामरवेली..... उप. तह कलोल

जिला बिलासपुर हि प्र

Aband
ग्राम पंचायत धणी

विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा धौली

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या -- 11

दिनांक 17-1-2019

ग्राम सभा धौली की बैठक आज दिनांक को 17-01-2019 बजे स्थान में श्री/श्रीमती जयनन्द की अध्यक्षता में की गई जिसमें 2वरली गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मोजा 2वरली उप तह झंडूता जंगल / वन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण के लिए खसरा न.32/1,230/199,27/1,233,27/1,206/197,17/1,202,197/1,207/92,193,216,135/1,214,135/1,212/82,194,149/1,220,1 63/1,180/1,68/1,59/1 रकवा तादादी 25-16 बीघा (1-94-08 हेक्टेयर) भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकारी समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाँववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	—	2वरली	—

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रम संख्या	पात्र गाँव वासी का नाम
/	—

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान धौली

दिनांक 17-1-2019

अध्यक्ष
ग्राम पंचायत धौली
विकास एवं झण्डूता
अधिकृत हस्ताक्षर करें (10/01/2019)

ग्राम वासी / ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।



हस्ताक्षर
दिनांक

अध्यक्ष
ग्राम पंचायत धौली
विकास एवं झण्डूता
अधिकृत हस्ताक्षर करें (10/01/2019)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ANNEXURE- V

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा धनी

विकाश खण्ड झंडूता जिला बिलासपुर हि प्र

प्रतिलिपि प्रस्ताव ----

गणपूर्ति 95/395

दिनांक 17-1-2019

प्रस्ताव संख्या ----- 11

विषय :- लोक निर्माण विभाग से सडक निर्माण धनी से खरली हेतु मोजा खरली उप तह कलोल में जंगल / वन क्षेत्र में
प्रस्तावित
न. 32/1,230/199,27/1,233,27/1,206/197,17/1,202,197/1,207/92,193,216,135/1,214,135/1,212/82,194,149/1,220,1
63/1,180/1,68/1,59/1 रकवा तादादी 25-16 वीघा (1-94-08 हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान
करने हेतु।

ग्राम सभा धनी की बैठक आज दिनांक 17-1-2019 को 2:00 बजे स्थान धनी

में की गई जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक निर्माण धनी से खरली हेतु खरली

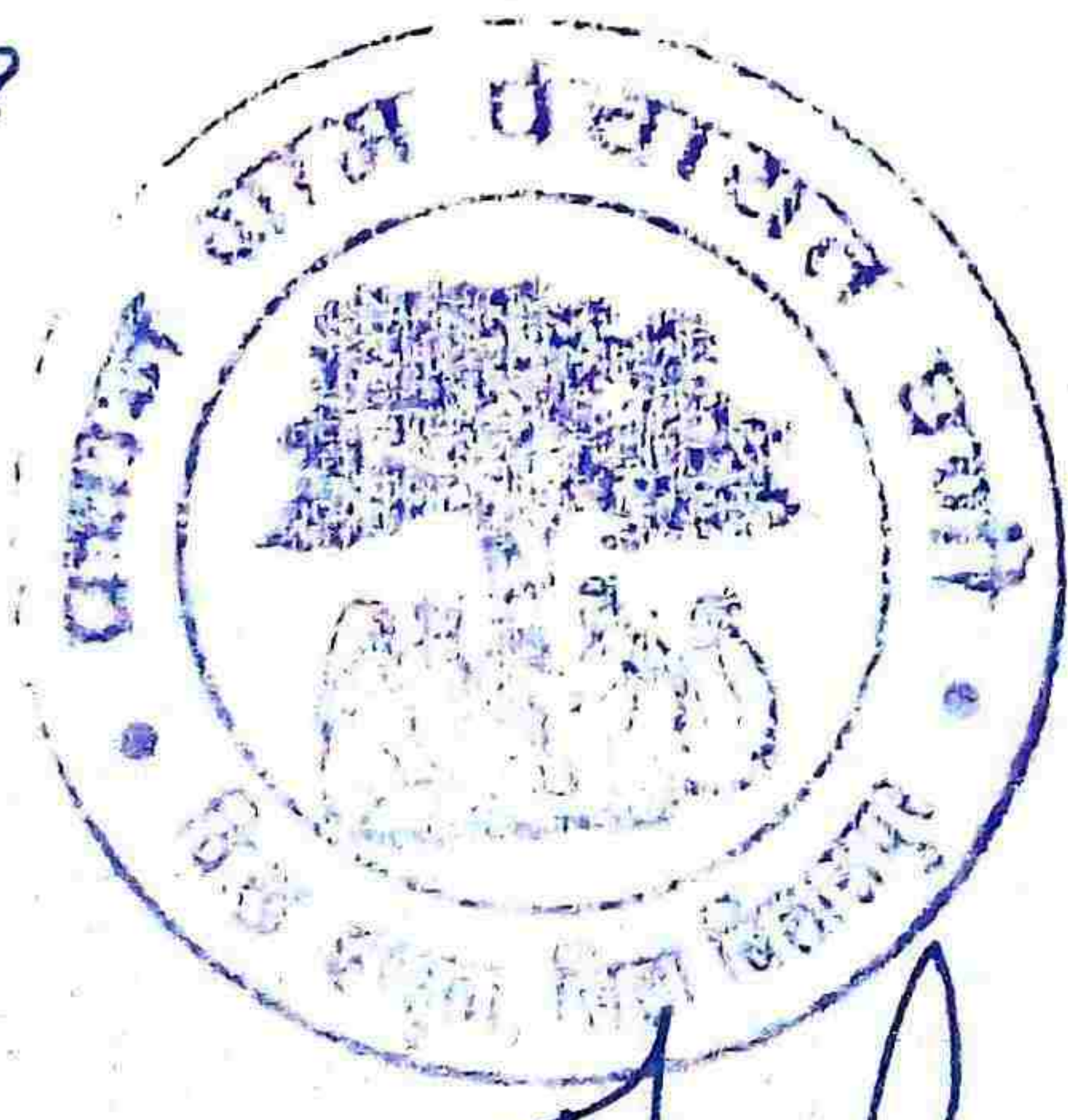
जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा
न. 32/1,230/199,27/1,233,27/1,206/197,17/1,202,197/1,207/92,193,216,135/1,214,135/1,212/82,194,149/1,220,1
63/1,180/1,68/1,59/1 रकवा तादादी 25-16 वीघा (1-94-08 हेक्टेयर) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति
प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियो ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह
निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के
अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्व-सम्मति से यह पारित किया गया की उपरोक्त अधिनियम के
अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / क ली गई है तथा प्रस्तावित खसरा न
32/1,230/199,27/1,233,27/1,206/197,17/1,202,197/1,207/92,193,216,135/1,214,135/1,212/82,194,149/1,220,16
3/1,180/1,68/1,59/1 रकवा तादादी 25-16 वीघा (1-94-08 हेक्टेयर) वन भूमि को सडक निर्माण धनी से खरली हेतु उपयोग के
लिए ग्राम सभा धनी की सहमति दी जाती है।

स्थान धनी

दिनांक 17-1-2019



Shandy
स्वायत्त सचिव
अधिवृत्त संसाधन धनी
विकाश खण्ड झंडूता
जिला बिलासपुर (डि० प्र०)
ग्राम सभा धनी विकाश खण्ड झंडूता जिला बिलासपुर

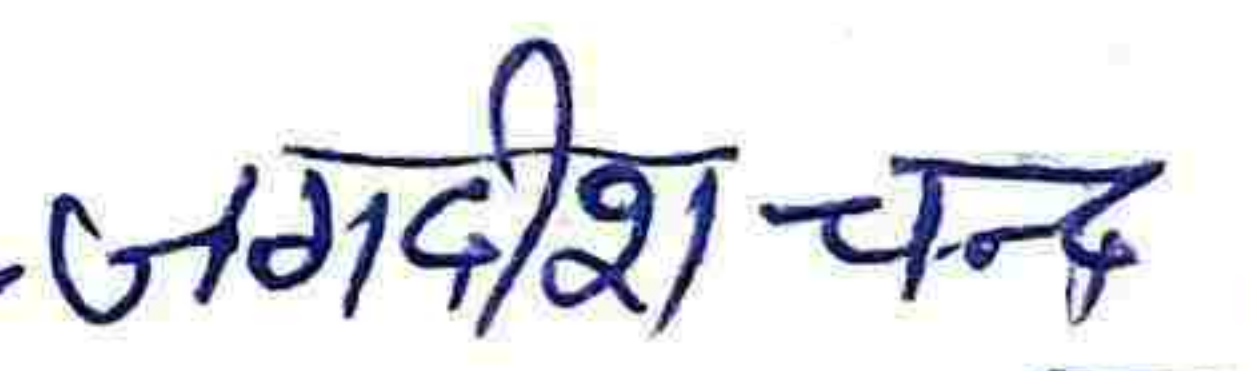
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्व मुहाल सभा खरली में वन अधिकार समिति के गठन हेतु मुहाल सभा की गई जिसमें मुहाल के कुल मतदाताओं का 1/2 भाग से अधिक मतदाता उपस्थित हुए। उपस्थित मतदाताओं/लैंगों ने अपने-अपने से वन अधिकार समिति का गठन सुतावेक मार्गदर्शिका (1/3 अनुसूचित जनजाति सदस्य और 1/3 महिला सदस्य जहां अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है वहां 1/3 इसके बदले महिला सदस्य होगी) के अनुसार किया।

वन अधिकार समिति के गठन के उपरान्त सूचना जगह जगह मुहाल खरली में चसपान कर दी थी 90 दिनों तक किसी भी प्रकार का अपेक्षित/आपत्ति दर्ज नहीं हुई।

वन अधिकार समिति के गठन के 90 दिनों के उपरान्त समिति की बैठक की गई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मुहाल खरली में किसी का भी वन अधिकार का दावा पारित नहीं हुआ है। समिति द्वारा पारित प्रस्ताव प्रतिलिपि ग्राम सभा हेतु प्रेषित कर दी गई।

अध्यक्ष/सचिव 
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव खरली
ग्राम पंचायत धनी, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

अध्यक्ष/सचिव 
वन अधिकारी समिति, राजस्व गांव खरली
ग्राम पंचायत धनी, विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)


ग्राम पंचायत धनी
विकास खण्ड झण्डूता
जिला बिलासपुर (हि०प्र०)